चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित

आज दिनांक 13.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से

सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री नरेश प्रजापति के मार्गदर्शन में थाना राजापुर पुलिस टीम ने अलग अलग स्थानों से कुल 08 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया।

(1). उ0नि0 श्री नरेन्द्र यादव मय हमराह आरक्षी अश्वनी सिंह,आरक्षी रियाज,आरक्षी शहवाज खाँ,आरक्षी अभिषेक यादव व आरक्षी शाकिर अली द्वारा अभियुक्तगण 1.छोट्टन सोनकर पुत्र स्व0 छोटा उम्र करीब 35 वर्ष 2.कल्लू पुत्र स्व0 बदलू रैदास उम्र करीब 55 वर्ष 3.भोला यादव पुत्र स्व0 गिरधारी उम्र करीब 54 वर्ष 4.बद्री प्रसाद पुत्र सुन्दरलाल रैदास उम्र करीब 42 वर्ष निवासीगण नादिन कुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। जुआरियों के कब्जे से मालफड़ से 900/- रूपये व 52 अदद तास पत्ता, जामा तलाशी से 600/- रुपये बरामद किए गए।

(2). उ0नि0 श्री राजकुमार राय मय हमराह आरक्षी विमलेश कुमार,आरक्षी शिवम मिश्रा द्वारा अभियुक्तगण 1.शिवगनेश पुत्र प्यारेलाल उम्र करीब 33 वर्ष 2.कपिल देव पुत्र भोला प्रसाद उम्र करीब 38 वर्ष 3.जयकरन पुत्र सवारे उम्र करीब 25 वर्ष 4.अशोक पुत्र सुग्गन उम्र करीब 33 वर्ष निवासीगण नादिन कुर्मियान थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों से हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। जुआरियों के कब्जे से मालफड़ से 750/- रूपये व 52 अदद तास पत्ता, जामा तलाशी से 450/- रुपये बरामद किए गए।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अंशुल कुमार व उनकी टीम ने दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 23.05.2026 को वादी अरविन्द कुमार सिंह पुत्र गया प्रसाद सिंह निवासी सुखवन्तराय नगर थाना फतेहपुर जनपद फतेहपुर द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि उनकी बहन पिंकी उम्र 32 वर्ष को दहेज के लिए प्रताड़ित करना व दहेज की मांग पुरी न होने पर जहर खिलाकर मार देना। इस सूचना पर थना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 282/2026 धारा 85,80(2),123 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1.रमाकान्त सिंह पुत्र गुलजार सिंह (पति) 2.गुलजार सिंह (ससुर)3.निर्मला देवी पत्नी गुलजार सिंह (सास) पंजीकृत किया गया। विवेचक क्षेत्राधिकारी नगर महोदय द्वारा विवेचना से मुकदमा उपर्युक्त में से धारा 123 बीएनएस को लोप किया गया। आज दिनाँक 16.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम ने अभियुक्त रमाकान्त सिंह पुत्र गुलजार सिंह उम्र करीब 30 वर्ष निवासी सपहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 अंशुल कुमार

2.का0 किशन सिंह

3.का० दीपक चौरसिया

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

उ0नि0 श्री प्रवेश यादव मय हमराह आरक्षी देवेन्द्र सिंह व आरक्षी विशाल तिवारी द्वारा मु0नं0 5386/2025 मु0अ0सं0 81/2025 धारा 115(2),352,351(2) के वारण्टी अभियुक्त बलराम पुत्र रामऔतार उर्फ धड़फा उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम देवारी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 श्री बंशनारायण सिंह मय हमराह मुख्य आरक्षी संदीप देव,आरक्षी रवीन्द्र राठौर व आरक्षी अनूप द्वारा मु0नं0 1173/20 मु0अ0स0 185/15 धारा 147/148/336/352/353/504/506/71 एफ भादवि0 व 7 सीएल एक्ट के वारण्टी अभियुक्त चुनकउना पुत्र भुण्डा चमार उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम गढचपा मजरा पतेरिया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 श्री रामजी उपाध्याय द्वारा मु0नं0 57/20 धारा 304/342/504/120बी भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त कल्लू पुत्र गिननारी उम्र करीब 38 वर्ष निवासी नई बस्ती मजरा चुरेहकेशरुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।